सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
अग्रहायण 3, मंगलवार, शाके 1942–नवम्बर 24, 2020 *Agrahayana 3, Tuesday, Saka 1942–November 24, 2020*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 24, 2020

संख्या एफ.139(89)अलवर/विधि/पंरा/2020/5366:- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-9 (3) में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर, अलवर को ग्राम पंचायत, जिलौता (पंचायत समिति, किशनगढबास) रून्ध (पंचायत समिति, मुण्डावर) कमालपुर, फकरूदीनका (पंचायत समिति, तिजारा) के पंचायत कार्यालय का स्थान परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण कर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,

मंजू राजपाल

शासन सचिव एवं आयुक्त

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।